



कुलसचिव कार्यालय
उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान
विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा-281001

पत्र सं० 866 / यूपीडीडीवीयू/आर-(डी0ई0ई0-2025)

दिनांक: 09 जुलाई, 2025

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत Institute of Para Veterinary Science के स्ववित्त पोषित डिप्लोमा कार्यक्रमों (Diploma in Livestock Extension एवं Diploma in Veterinary Pharmacy) में प्रवेश हेतु डी0ई0ई0-2025 के आधार पर ऑफलाइन काउन्सिलिंग दिनांक 23.07.2025 हेतु आवश्यक सूचना

सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित डी0ई0ई0-2025 (डिप्लोमा कार्यक्रम) के अनुक्रम में डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक एक्स्टेंशन/डिप्लोमा इन वेटेरिनरी फार्मसी में प्रवेश हेतु ऑफलाइन काउन्सिलिंग दिनांक 23.07.2025 (बुधवार) को प्रातः 09:00 बजे विश्वविद्यालय के पं० दीन दयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित की जाएगी। ऑफलाइन काउन्सिलिंग हेतु प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण समस्त अभ्यर्थी दिनांक 23.07.2025 को काउन्सिलिंग अनुदेशों के अनुसार सभी प्रमाण-पत्रों एवं निर्धारित शुल्क के साथ काउन्सिलिंग में भाग लेना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी दिये गये काउन्सिलिंग अनुदेशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें। काउन्सिलिंग में भाग लेने हेतु सूचना केवल विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। अन्य किसी माध्यम से अभ्यर्थी को सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी। अभ्यर्थी निर्धारित समय पर ऑफलाइन काउन्सिलिंग में उपस्थित होकर भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। यात्रा में किसी भी प्रकार का विलम्ब होने या काउन्सिलिंग में अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे। विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को तत्समय रिक्त सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश दिया जाएगा।

अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र एवं उनकी पॉच छायाप्रतियों सहित व निर्धारित शिक्षण शुल्क की व्यवस्था कर काउन्सिलिंग में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

कुलसचिव 2025

ऑफलाइन काउंसिलिंग हेतु अनुदेश

कृपया ध्यान दें:- ऑफलाइन काउंसिलिंग हेतु अनुदेश में मांगे गये मूल प्रमाण-पत्रों के अभाव में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा

डी0ई0ई0-2025 के आधार पर (डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक एक्सटेंशन/डिप्लोमा इन वेटेरिनरी फार्मेसी) पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु ऑफलाइन काउंसिलिंग दिनांक 23 जुलाई 2025 को प्रातः 09:00 बजे विश्वविद्यालय के पं० दीन दयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित की जाएगी। काउंसिलिंग पंजीकरण शुल्क ₹ 500/- प्रति छात्र देना होगा। यदि आप निर्धारित तिथि व समय एवं स्थान पर उपस्थित नहीं होंगे तो यह समझा जायेगा कि आप प्रवेश लेने के इच्छुक नहीं हैं। यात्रा में होने वाले विलम्ब के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतः काउंसिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करें। काउंसिलिंग के दौरान समस्त सीट पर डी0ई0ई0-2025 प्रवेश परीक्षा की मैरिट के आधार पर ही चयन की कार्यवाही कर प्रवेश दिया जायेगा।

प्रवेश के समय आपको निम्नलिखित प्रमाण-पत्र मूलरूप में तथा “Application form for admission” के साथ प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति का पॉच सैट लाना अनिवार्य है-

- प्रवेश प्रारूप (Application form for Admission) जो नीचे दिया गया है, को स्पष्ट बड़े अक्षरों में भर कर प्रमाणित रंगीन फोटो चिपका कर साथ लावें एवं प्रारूप के साथ मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां अवश्य संलग्न करें।
- हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
- इण्टरमीडिएट का प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
- चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराना न हो।
- आधार कार्ड।
- चार पासपोर्ट साइज फोटो।
- डी0ई0ई0-2025 परीक्षा का प्रवेश-पत्र व परिणाम पत्र (Result card)
- उस विद्यालय/विश्वविद्यालय जहां से आपने अन्तिम शिक्षा पाई हो, का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र एवं प्रवजन प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन प्रमाण-पत्र)
- यदि आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वैध प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
- यदि आपके अध्ययन काल में कोई अन्तराल (Gap) हो तो अन्तराल (Gap) के कारण का स्पष्टीकरण (शपथ पत्र) जो पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित हो काउंसिलिंग के समय अवश्य साथ लायें। (Annexure-I)
- उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।
- यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता का प्रमाण पत्र।
- पिता/संरक्षक का नवीनतम (वर्ष 2025) आय-प्रमाण पत्र।
- प्रोस्पेक्टस के (Annexure-G, G(a), G(b) व H) पर अंकित प्रारूपों का अलग-अलग दस रुपये के शपथ पत्र जो पब्लिक नोटरी के द्वारा सत्यापित होना चाहिये, काउंसिलिंग के समय साथ लाये।
- प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा प्रोस्पेक्टस में दर्शित प्रवेश शुल्क एवं अन्य मदों में जमा की गई धनराशि विश्वविद्यालय प्रोस्पेक्टस 2025 में दी गई व्यवस्था के अनुसार ही प्रतिदाय (Refund) की जाएगी।


कृपया उपरोक्त प्रमाण पत्र जो आपसे संबंधित हो, अपने साथ लाना अनिवार्य है। इनके अभाव में आप काउंसिलिंग से वंचित कर दिये जायेंगे। साथ ही आप यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण पत्र वास्तविक एवं सत्य हों क्योंकि इन प्रमाण पत्रों की जांच करायी जायेगी और यदि आपके प्रमाण-पत्र त्रुटिपूर्ण/फर्जी पाये गये तो आपका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा व आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेखों एवं आपकी शारीरिक जांच रिपोर्ट को उपयुक्त पाये जाने पर ही आपके प्रवेश पर विचार किया जायेगा।

कुलसचिव
23/7/2025

काउंसिलिंग हेतु निम्नलिखित निर्देश ध्यान पूर्वक पढ़ कर उसका अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है।

1. ऑफलाइन काउंसिलिंग का कार्य पूर्ण होने में समय लग सकता है। अतः अपने ठहरने की व्यवस्था अभ्यर्थी अपने स्तर से करेंगे। विश्वविद्यालय इस हेतु किसी प्रकार की व्यवस्था करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
2. अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु काउंसिलिंग प्रक्रिया विभिन्न अवस्थाओं (Stages) जैसे कि काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण, मेरिट अनुसार उपस्थिति, प्रमाण पत्रों की जाँच, सीट आवंटन, चिकित्सकीय परीक्षण, पाठ्यक्रम शुल्क जमा करना, छात्रावास आवंटन, परिचय प्रमाण पत्र डेटा संग्रहण, ऐन्टी रैगिंग शपथ पत्र का ऑनलाइन अपलोड किया जाना इत्यादि में होगी।
3. अभ्यर्थी के काउंसिलिंग स्थल से गायब होने या बुलावे पर अन्यत्र चले जाने अथवा बुलावे पर अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी को सीट चयन की प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।
4. सीट आवंटन के उपरान्त तुरन्त पूर्ण शुल्क जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा आवंटित सीट को रद्द कर दिया जाएगा।


कुलसचिव

फीस से सम्बन्धित जानकारी

प्रोसपेक्टस के पृष्ठ सं0 45 पर दर्शित निर्धारित शिक्षण शुल्क कैश/डिमांड ड्राफ्ट/ऑनलाइन NEFT/RTGS/UPI के माध्यम से नीचे दिये गये विश्वविद्यालय के खाते में जमा करना होगा। यदि आपके द्वारा काउन्सिलिंग की तिथि पर शिक्षण शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

Note: Fee (at the time of admission)

Non Hosteller	-	50,500/-
Hosteller	-	50,500+3850(Hostel Charges) = 54,350/- (Hostel will be allotted subject to availability)

डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु RTGS/NEFT/UPI द्वारा शुल्क जमा करने हेतु बैंक विवरण

ACCOUNT NAME	VETY PHARMACIST AND LEO DIPLOMA
A/C	1475010000000124
BANK NAME	INDIAN OVERSEAS BANK
BRANCH NAME	VETERINARY COLLEGE MATHURA
IFSC CODE	IOBA0001475
MICR CODE	281020003

नोट— उपरोक्त शिक्षण शुल्क Demand Draft/RTGS/NEFT के माध्यम से काउन्सिलिंग वाले दिन ही जमा करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट “वित्त अधिकारी, दुवासु मथुरा” के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की मथुरा शाखा पर देय होना चाहिए।


कुलसचिव 2023-

प्रमाण पत्र निम्न अनुसार क्रमवार लगाए जाए

निम्नानुसार कम सं० 1 से 15 (पाँच सेट)
1. Application Form for Admission (पूर्णतया बडे अक्षरों में भर कर)
2. हाईस्कूल अंक तालिका
3. हाईस्कूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र
4. इण्टरमीडिएट अंक तालिका
5. इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र
6. उ०प्र०निवास प्रमाण पत्र
7. पिछडी जाति/अनु०जाति/अनु०जनजाति/EWS प्रमाण पत्र (श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु)
8. आय प्रमाण पत्र
9. आधार कार्ड
10.दिव्यांग प्रमाण पत्र (दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु)
11.स्वतंत्रता सग्राम सेनानी/सक्रिय सेवा अथवा भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु)
12.स्थानांतरण प्रमाणपत्र अथवा प्रवजन प्रमाण पत्र
13.चरित्र प्रमाण पत्र
14.शपथ पत्र अनुशासन (Annexure G, G(a,b),H)
15.शपथ पत्र गैप (Annexure I)

**U.P.Pt Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidhalaya Evan Go-
Anusandhan Sansthan (DUVASU), Mathura-281001**

APPLICATION FORM FOR ADMISSION
Diploma in Veterinary Pharmacy / Livestock Extension

SESSION 2025-26

Name of the Programme

Self Attested
photo

1. Name of the applicant (block letters)

in English.....

in Hindi.....

2. Nationality.....

3. Name of the father and address with occupation.....

.....

4. Mother's name

5. Aadhar No.....

6. Mailing postal Address.....

7. Permanent address.....

District.....State.....Pincode.....

8. Tel No. with STD Code.....Mobile No.....

E-Mail.....

9. (a) Date of birth

(b) Age.....Year.....Month.....Days.....

10. Examinations passed

Examination	Name of the Board/ Institution/ University	Year of passing	Division /Percentage/ OGPA/CGPA	Number of attempts
1	2	3	4	8
High School/ Secondary				
Intermediate/ Higher Secondary				
Graduation				
Post Graduation				

Note: a. In not relevant parts, please write “not applicable”

11. Have you ever represented in a district /University or State level competition? If so attach documentary proof. **YES/NO**
12. Do you belong to any Reserved Category? Please specify and attach a certificate from the Competent Authority to that effect. **YES/NO**
13. Have you ever been debarred from any Institution? **YES/NO**
14. Do you have any gap of time after leaving the Institution last attended and admission in this university? How do you account for the intervening period? Pl. Enclose an affidavit. **YES/NO**
15. Total income of guardian/parents per month/per year.
16. Details of documents attached
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....

Date.....

अनुसूचित जाति / जनजाति (SC/ST)

(अभ्यर्थी के जन्म जिले के जिला मजिस्ट्रेट / प्रथम क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु०.....पुत्र/पुत्री..... निवासी:
गाँव/शहरनगरजिला.....प्रदेश..... जन्म.....
.... जाति में हुआ था और यह जाति अनुसूचित जाति / जनजाति आदेश: संशोधन एक्ट 1956 के अन्तर्गत भारत
सरकार द्वारा मान्य अनुसूचित जाति / जनजाति है।

स्थान:

हस्ताक्षर:.....

दिनांक:

नाम:.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मोहर:

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी
सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

ANNEXURE-B

अभ्यर्थियों के उत्तर प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण—पत्र

(उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित जिसका अभ्यर्थी निवासी है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....पिता/माता श्री/कु०..... उत्तर प्रदेश के गाँव/शहर.....तहसील.....जिला.....के स्थायी निवासी है तथा श्री/कु०..... अपने पिता/माता पर पूर्णतया आश्रित है।

अभ्यर्थी के माता/पिता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट.....

दिनांक:

नाम:.....

स्थान:

मोहर:

उत्तर प्रदेश से स्वतन्त्रता सैनानियों (Sub Category FF)

(उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित जिसका अभ्यर्थी निवासी है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु०.....श्री/श्रीमती..... निवासी.....
के पुत्र/पुत्री/पुत्री के पुत्र/पुत्र की पुत्री (अविवाहित) है। श्री/श्रीमती..... ने स्वतन्त्रता
 संग्राम में भाग लेने के कारण— जो लागू न हो उसे काटने का कष्ट करें।

- कम से कम दो माह की वास्तविक अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा हो या
- नजरबंदी या अण्डर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास रहे हों या
- कम से कम 10 बेंतों की सजा पाई हो, या
- फरार घोषित हुआ हो, या
- गोली से घायल हुआ हो, या
- वीरगति प्राप्त की हो, या
- ऐसे व्यक्ति भी जो पेशावर काण्ड के रहे हो, या
- भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हो, या
- भूतपूर्व इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के प्रमाणित सदस्य हो, या

टिप्पणी: ऐसे व्यक्ति जिन्होंने माफी माँगी हो, उक्त परिभाषा में सम्मिलित नहीं माने जाएंगे।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....उपरोक्त स्वतन्त्रता सैनानी श्री.....
के पुत्र/पुत्री है अथवा उनके पौत्र/पौत्री है तथा वह उन पर वास्तव में आश्रित है।

अभ्यर्थी के माता/पिता के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट.....

नाम:.....

मोहर:

उत्तर प्रदेश सेना दल (Sub Category AF)

(सकिय सेवा अथवा भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री के लिए प्रमाण पत्र)
(अन्तिम यूनिट के आफिसर कमान्डिंग द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु०.....पुत्र/पुत्री..... निवासी/गाँव/शहर
.....तहसील.....जिला.....प्रदेश.....दिनांक.....को सेवा
निवृत्त/युद्ध में मारे गए/अपंग हो गए। वे उस समय थलसेना/जलसेना/वायुसेना.....के.....
.....पर कार्यरत थे।

दिनांक:.....

यूनिट कमान्डिंग आफिसर के हस्ताक्षर

स्थान:.....

मोहर:

ANNEXURE-E

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री श्रीनिवासी: गाँव.....तहसील.....नगर..
.....जिला.....उत्तर प्रदेश.....राज्य की.....
पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं, यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा
अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम
सूचना संख्या 22-16-92 का 2-95 दिनांक 8-12-95 में उल्लिखित अनुसूची-दो से आच्छादित नहीं है।

श्री/कुमारी/श्रीमती.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम.....तहसील.....
.....नगर जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान:
.....

हस्ताक्षर:.....

दिनांक:
.....

नाम:.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मोहर:

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

This Certificate will be acceptable only if is issued after March 31, 2025.

**AFFIDAVIT BY THE STUDENT
(TO BE SUBMITTED AT THE TIME OF COUNSELLING)**

I.....registration no. (S/o D/o Mr./Mrs/Ms)having been admitted to..... have received a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (herein after called the “Regulations”) Carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

- I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- I hereby solemnly aware and undertake that
- I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under Clause 3 of the Regulations
- I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under Clause 3 of the Regulations.
- I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to Clause 9.1 of the Regulations. Without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law for the time being in force.
- I hereby declare that I have not been expelled or debarred form admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case of the declaration is founded to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this.....day of.....month of.....year.

Signature of deponent

Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at.....(Place).....on this the (day).....of.....(month).....(year).

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the.(day).....of.....(month)..... (year).....after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

ANNEXURE-G (a)

डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाने वाला शपथ पत्र

एतद द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं.....पंजीकरण संख्या.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं इस विश्वविद्यालय के वर्तमान तथा भविष्य में लागू होने वाले नियमों/परिनियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा/करूँगी। अपने पूरे अध्ययनकाल में अनुशासित रहूँगा/रहूँगी। तथा मैं अपना आचरण एवं सभी के प्रति व्यवहार अच्छा रखूँगा/रखूँगी। यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं छात्रावास के अपने कमरे में आवसित छात्र/छात्रा के अतिरिक्त किसी अन्य छात्र/छात्रा को किसी भी दशा में नहीं रखूँगा/रखूँगी और न पंखा व बल्ब के अलावा अन्य कियी प्रकार का बिजली का सामान प्रयोग करूँगा/करूँगी। मुझे समय-समय पर पुनरीक्षित/अभिवर्धित बिजली कमरे का किराया तथा अन्य शुल्क मान्य होंगे।

यदि मैं उपरोक्त अथवा अन्य किसी भी नियम/परिनियम को भंग करता हूँ/करती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से अनुशासनहीनता की किसी कार्यवाही में भाग लेता/लेती हूँ तो विश्वविद्यालय द्वारा समुचित दण्ड मुझे स्वीकार होगा।

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पूरा पता.....

अभिभावक द्वारा शपथ पत्र

मैं.....जो श्री/श्रीमती/कुमारी..... का
पिता/अभिभावक हूँ ऊपर दिए गए शपथ पत्र के सभी प्राविधानों का अभिभावक के रूप में अपने पुत्र/पुत्री/वार्ड्स से
परिपालन कराने की शपथ लेता/लेती हूँ और साथ ही यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त अथवा किसी
नियम/परिनियम की अवहेलना करने पर मुझे अपने पुत्र/पुत्री/वार्ड्स के प्रति विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी
निर्णय मान्य होगा।

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर.....

पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में.....

पूरा पता.....

छात्र एवं छात्रा के पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

प्रमाणित.....

पब्लिक नोटरी का हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक.....

**AFFIDAVIT BY THE PARENT/GUARDIAN
(TO BE SUBMITTED AT THE TIME OF COUNSELLING)**

- Mr./Mrs/Ms..... (Full name of Parent/guardian) father/mother/guardian of.....(Full name of student with admission / registration / enrolment number)..... having been admitted to..... (Name of the institution) have received a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (herein after called the “Regulations”) Carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
- I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- I hereby solemnly aware and undertake that
 - My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations
 - My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against him under any penal law for the time being in force.
- I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred form admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case of the declaration is found to be untrue, my ward is aware that admission is liable to be cancelled.

Declared this.....day of.....month of.....year.

Signature of deponent
Name:.....

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or mis-stated therein.

Verified at.....(Place).....on this the (day).....of.....(month).....(year).

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the.(day).....of.....(month)..... (year).....after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाने वाला गैप शपथ पत्र

समक्ष: कुलसचिव, उ०प्र० पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा।

शपथ पत्र द्वारा श्री/श्रीमती/कु०.....पुत्र/पुत्री.....

निवासी.....जिला.....प्रदेश.....

मैं शपथकर्ता/शपथकर्ती सशपथ निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है तथा हालात शपथपत्र से बखूबी वाकिफ है।
2. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती ने हाईस्कूल की परीक्षा सन्.....में उत्तीर्ण की है।
3. यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा सन्.....में उत्तीर्ण की है।
4. यह कि शपथकर्ती ने सन्.....में इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त आज तक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लिया है। सन्.....से.....तक घर पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की है।

मैं शपथकर्ता/शपथकर्ती उपरोक्त सशपथ तस्दीक करता/करती हूँ कि मजमून शपथपत्र की धारा 1 लगायत 4 मेरी निजी जानकारी में सच व सही है इसमें न कुछ झूठ है और न ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

शपथकर्ता/शपथकर्ती

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रमाण-पत्र

Government of.....

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSETS CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____

Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of _____ permanent resident of _____ Village/ Street, Post Office _____, District _____ in the State/ Union Territory _____, Pin Code _____ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family'*** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____. His/her family does not own or possess any of the following assets***:

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

Signature with seal of Office _____

Name _____

Designation _____

**Recent Passport
Size attested
photograph of
the applicant**

This Certificate will be acceptable only if is issued after March 31, 2025.

Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

** Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

*** Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.